तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 01बी/2020 हिराराम पटेल बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13/12/2022

अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अन्तरिम आदेश दिनांक 20.02.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। हस्तगत प्रकरण मे हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2020 से निरन्तर अंतिम आदेशिका तक अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 20.02.2020 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त जैर अपील आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण से संबधित उनके समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 20.02.2020 को जैर अपील आदेश पारित किया गया है। प्रकरण से संबधित मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 27.02.2020 के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदिनांक तक विचाराधीन/लम्बित है। प्रकरण से संबधित मूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत होना है। ऐसी परिस्थितियो मे न्यायिक मंशा को मद्देनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण मे उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मे वर्णित तथ्यो पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मोजा पाडीव के खसरा नंबर 3486/2569 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3485/2569 रकबा 0.4000 हैक्टेयर के सबध मे प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी पूर्व खातेदार द्वारा जरिये विक्रय–विलेख के खरीद की गई है एवं पूर्व खातेदार के कब्जे अनुसार मौके पर विक्रय–विलेख के अनुसार कब्जा प्राप्त किया। अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर आवासीय कमरे का निर्माण करवाया एंव वादग्रस्त आराजी पर सुधार कार्य करवाया। किन्तु लगभग 1 वर्ष पश्चात पटवारी हल्का द्वारा मौके पर उपस्थित होकर उक्त निर्माण कार्य को राजकीय आराजी खसरा नंबर 2567 की भूमि होना बताकर अपीलांटगण द्वारा करवाये गये निर्माण कार्य को गलत तरीके से तोडने पर आमादा होने पर अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को नजरअदांज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपील मे वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि प्रकरण से संबधित मूल प्रार्थना पत्र आदिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रकरण से संबधित मूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत न कर अंतरिम आदेश के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। जो कि पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो को मद्देनजर रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मोजा पाडीव के खसरा नंबर 3486/2569 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3485/2569 रकबा 0.4000 हैक्टेयर के सबध मे प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र मे होगा। ऐसी परिस्थितियो मे हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण के इस स्तर पर वादग्रस्त आराजी के संबध मे किसी प्रकार का तर्क दिया जाना उचित नहीं समझते है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन व्यादेश नहीं दिया जाकर पत्रावली मे अप्रार्थीगण के जवाब हेतु नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया गया। अपीलांटगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। हस्तगत प्रकरण हाजा न्यायालय द्वारा पारित व्यादेश के कारण लगभग 02 वर्षो से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित मूल प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं किये जाने से हितबद्ध पक्षकारो को कई प्रकार की परेशानियो का सामना करना पड रहा है। जो कि न्यायोचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 01बी/2020 हिराराम पटेल बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। एवं सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 31/2020 मे पारित आदेश दिनांक 20.02.2020 को अपास्त किया जाता है। तद्नुसार न्यायिक मंशा को मद्देनजर रखते हुए सहायक कलक्टर सिरोही को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय मे प्रकरण से संबधित विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र संख्या 31/2020 हिराराम पटेल बनाम सरकार में उभयपक्षो को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए 30 दिवस के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही